



Dr. Parvati Deewan
Officer Incharge

7597931372 (M)

incharge.arss.gonera@sknau.ac.in

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र गोनेड़ा कोटपूतली-बहरोड़

Agricultural Research Sub Station, Gonera, Kotputli-Behror

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

(Shri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)

क्रमांक / कृ.अ.उ.के. / के.टी.पी. / 2026 / 62

दिनांक 22.06.26

खुली निविदा सूचना

इस केन्द्र पर हिस्सा आधारित खेती के लिए खरीफ 2026 रबी 2026-27 व के लिए दिनांक 29.06.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की जाती है एवं निविदाएं दिनांक 30.06.2026 को श्रीमान् निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा-जयपुर कार्यालय में दोपहर 12:00 बजे खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्तों की जानकारी इस केन्द्र से पॉंच सौ रु. जमा कराके प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र के साथ पच्चीस हजार रु. धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा **OFFICER INCHARGE ARSS GONERA KOTPUTLI (RF)** के नाम पर जमा करवानी होगी। निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाइट www.sknau.ac.in एवं राज्य सरकार की वेबसाइट <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर अपलोड कर दी गई है, जिसका UBN No. **SKN2627W** हैं पर देखा जा सकता है। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार कमेटी को होगा। **SOBDD114**

प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
Agriculture Research Sub Station
GONERA, KOTPUTLI

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. श्रीमान् निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा (जयपुर)
2. श्रीमान् वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञापित को खोली जानी वाली दिनांक 30.06.2026 को अपना प्रतिनिधि भेजने का श्रम करावें।
3. श्रीमान् चैयरमैन, टैप कमेटी, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा (जयपुर)
4. श्रीमान् राजस्थान समवाद, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञापित को राज्य स्तरीय अंक में प्रकाशित कर बिल इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।
5. सूचना पट्ट, कार्यालय
6. आरक्षित प्रति

प्रभारी अधिकारी
Officer Incharge
Agriculture Research Sub Station
GONERA, KOTPUTLI

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र गोनेड़ा-कोटपूतली जिला-कोटपूतली-बहरोड

:श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर

निविदा सूचना क्रमांक: /कृ.अ.उ.के./के.टी.पी./2026/62

दिनांक 22.06.2026

1. योजना का नाम :	हिस्सा आधारित खेती		
2. बजट हेड	रिवोल्विंग फंड		
3. कार्य की अनुमानित अवधि	खरीफ 2026 व रबी 2026-27		
4. निविदा फार्म का मूल्य	500/-रुपये		
	रसिद नं.	दिनांक	
5. धरोहर राशि की प्रकृति व राशि	डिमाण्ड ड्राफ्ट 25000/-रुपये		
6. निविदादाता/ कन्ट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण:			
क्र.स.	विवरण	हिस्सेदारी	प्रतिशत
	दाना/बीज/सब्जी	निविदादाता द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	
	उपज	निविदादाता द्वारा केन्द्र को दिया जाने वाला हिस्सा	

निविदा शर्त:-

1.	कृषि अनुसंधान उप केन्द्र फार्म पर खेती योग्य भूमि लगभग 30 हैक्टेयर पर केन्द्र के निर्देशानुसार आवंटित क्षेत्र पर खेती करनी होगी।
2.	निविदादाता निविदा फार्म में अपना नाम पता एवं मोबाईल नम्बर पते का प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड/वोटर कार्ड जिसमें फोटो लगी हो एवं बैंक खाते की पासबुक स्व प्रमाणित प्रतिलिपि निविदा के साथ सलंग्न करे।
3.	निविदादाता को प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करने होंगे।
4.	जमा धरोहर राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
5.	ट्रैक्टर सम्बन्धी कार्य तथा डिस्क प्लाउ, हेरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, फर्टिलाईजर ड्रिलिंग कार्य के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था मय डीजल केन्द्र द्वारा ही की जावेगी जबकि ट्रैक्टर चालन का कार्य निविदादाता को करना होगा तथा अपरिहार्य कारणों से होने वाली टूट-फूट को निविदादाता के द्वारा अपने स्वयं के भुगतान से दुरुस्त करवाना होगा।
6.	बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वरक, खरपतवारनाशी, फफुदनाशक, कीटनाशक, कल्चर आदि की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जायेगी, प्रभारी अधिकारी/ फार्म प्रभारी की सिफारिश के अनुसार देय होगा।
7.	बुवाई से लेकर फसल थ्रेसिंग एवं गोदाम तक तोलकर रखवाने तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगे।
8.	फार्म पर उत्पादित फसल का चारा/भूसा निविदादाता का होगा।



Officer Incharge
Agriculture Research Sub Station
GONERA, KOTPUTLI

9.	निविदादाता को सिंचाई सम्बन्धी उपकरण जैसे पाइप, फव्वारे, बेंड, टी, डाट आदि गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होंगे तथा कार्य समाप्त होने तक सारी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी एवं उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होंगे, इनमें किसी भी प्रकार की टूट-फूट होने पर निविदादाता को नये क्रय कर केन्द्र पर जमा कराने होंगे तथा नहीं लौटाने पर इनकी लागत राशि का भुगतान कार्यालय में जमा कराना होगा। भूमिगत पाइप लाईन को दुरस्त करने का कार्य भी निविदादाता को करना होगा।
10.	विभिन्न प्रकार की शस्य क्रियार्ये फार्म मैनेजर, फार्म प्रभारी व प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार करनी होंगी तथा सारा श्रमिक व्यय एवं लगने वाले औजारों की व्यवस्था निविदादाता को ही वहन करनी होगी।
11.	थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले बीज उत्पाद के बंटवारे के बाद निविदादाता को उन फसलों का थ्रेसिंग के समय उपज मंडी के एक सप्ताह के औसत भाव के आधार पर उसके हिस्से के उत्पाद का चैक द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा। यदि व्यवसायिक फसल उत्पादन लिया जाता है तो निविदादाता उत्पाद का हिस्सा ले सकता है।
12.	फार्म पर कृषि कार्यों के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हों, सांप काटने, बिजली से व अन्य किसी उपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर प्रभारी अधिकारी व केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
13.	निविदादाता फार्म पर अन्य फसलें जिसमें सब्जीवर्गीय, कद्दूवर्गीय तथा प्याज एव लहसुन की खेती भी प्रभारी अधिकारी के निर्देशन में इसी निविदा पर कर सकता है किन्तु इसके लिए फार्म बाध्य नहीं होगा।
14.	सब्जी उत्पादन वाली फसलों को बेचान का कार्य फार्म मैनेजर/प्रभारी अधिकारी के निर्देशन में निविदादाता द्वारा स्वयं के स्तर पर की जावेगी। सब्जी वाली फसलों का भुगतान कमेटी के निर्देशन में बाजार मण्डी भाव से निविदादाता को चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा।
15.	फार्म द्वारा लगाई जाने वाली प्रयोग/परीक्षण फसलों में खाद, पानी, निराई, गुड़ाई तथा कटाई व परीक्षण फसल का बीज निकालने की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी जिसका अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।
16.	फार्म का कोई खेत खाली रहता है तो उसमें ट्रैक्टर चलाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा फसल कार्य पूर्ण होने के पश्चात समस्त खेतों की जुताई करके छोड़ना होगा उसके उपरान्त फसल चैक का भुगतान किया जायेगा।
17.	फार्म पर स्थित तारबंदी की मरम्मत का कार्य समय समय पर निविदादाता को ही करना होगा। केन्द्र अलग से कोई भुगतान नहीं करेगा।
18.	फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां इक्का करना है व कितने ढेर बनाने हैं इसके लिए फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क करना होगा तथा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों को देखते हुये फसल इक्का करने के लिये ट्रैक्टर ट्रौली की सुविधा केन्द्र द्वारा दी जा सकती है परन्तु यह शर्त केन्द्र के लिये बाध्य नहीं होगी।
19.	निराई गुड़ाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुये निविदादाता को करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म मैनेजर, फार्म इन्चार्ज व प्रभारी अधिकारी को होगा।
20.	फसल की थ्रेसिंग के पश्चात साफ किये फसल उत्पादन को बोरियों में भरकर फार्म मैनेजर, फार्म इन्चार्ज व प्रभारी अधिकारी द्वारा बताये अनुसार तोलकर गोदाम में बोरियों की धांग निविदादाता को लगानी होगी। वजन तोलते समय नमी एव कचरा का 02 प्रतिशत काटा जावेगा। यदि कचरा अत्यधिक होता है तो उसी के अनुपात में प्रभारी अधिकारी अपने स्वविवेक से कटौती प्रतिशत को बढ़ा सकता है।
21.	थ्रेसिंग पश्चात बोरियों में भरते समय ध्यान रखें कि किसी भी बोरी का वजन 50 किलोग्राम से अधिक नहीं हो।



Officer Incharge
Agriculture Research Sub Station
GONERA, KOTPUTLI

22.	थ्रेसिंग में लगे मशीनरी का खर्चा स्वयं निविदादाता द्वारा वहन करना होगा तथा थ्रेसिंग कार्य कार्यालय समय में ही करना होगा।
23.	थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पादन को खलिहान से गोदाम तक लाने के लिए फार्म ट्रैक्टर ट्राली उपलब्ध करवा दी जावेगी, किन्तु यह शर्त केन्द्र पर बाध्य नहीं होगी।
24.	पम्प व ट्यूबवैल मोटर ओपरेशन निविदादाता को ही करना होगा एवं निविदा समय में किसी भी प्रकार की खराबी होने पर निविदादाता को स्वयं के खर्च पर ठीक करवानी होगी।
25.	ट्यूबवैल के विद्युत बिल का भुगतान केन्द्र फार्म द्वारा वहन किया जायेगा। अन्य साधन से सिंचाई करने पर व्यवस्था निविदादाता स्वयं को करनी होगी।
26.	फार्म कार्य संतोषजनक नहीं होने पर निविदा को निरस्त करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा जो कि निविदादाता को मान्य होगा।
27.	आवास की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।
28.	फसलों में रीरिंग/अप्वाँछन कार्य फार्म प्रभारी की देखरेख में निविदादाता को ही करवाना होगा।
29.	थ्रेसिंग कार्य में बताये अनुसार थ्रेसर लगाकर कार्य करवाना होगा एवं निविदादाता को अपने खर्च से थ्रेसिंग कार्य करवाना होगा। केन्द्र द्वारा थ्रेसर उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।
30.	फार्म में फसलों/बिजली उपकरणों तथा सिंचाई उपकरणों की रखवाली निविदादाता द्वारा की जावेगी। केन्द्र की जिम्मेदारी नहीं होगी।
31.	सफल निविदादाता को सौ रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निविदा शर्तों की पालना की शपथ देनी होगी।
32.	फार्म पर बुवाई क्षेत्र के आसपास खरपतवार व अन्य अवाँछित पौधे निकालने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। पौधे नहीं निकालने पर लगने वाली मजदूरी का भुगतान निविदादाता से वसूला जावेगा या फसल भुगतान राशि के चैक से काटा जायेगा।
33.	निविदादाता को प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करने होंगे।
34.	प्रथम वरीयता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नहीं संभालने पर ठेका नियमानुसार निरस्त करके अगली वरीयता पार्टी को कार्य का आदेश प्रभारी अधिकारी दे सकेंगे। अनुबंध की अवधि आदेश की तारीख से एक साल तक के लिए मान्य होगी। अनुबंध की अवधि कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति से अगले एक साल के लिए और बढ़ाई जा सकती है।
35.	निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी तथा निविदादाता या उसके मजदूर केन्द्र फार्म पर मदिरा व अन्य नशा सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे।
36.	निविदादाता किसी अन्य को अपने स्तर पर हिस्साधारक नहीं बना सकेगा। यदि निविदादाता ऐसा करता है तो उसकी निविदा केन्द्र द्वारा निरस्त कर दी जायेगी।
37.	थकसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसे पाला, ओलावृष्टि होने पर केन्द्र द्वारा किसी प्रकार का अनुदान या फसल बीमा योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

मुझे निविदा की समस्त शर्तें मंजूर हैं तथा मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने के लिये सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर व पता दिनांक सहित

Officer Incharge
Agriculture Research Sub Station
GONERA, KOTPUTLI